झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

ज्ञापांक :– 7/न०कू०– 02–03/2023– 50 (वि) राँची, दिनांक :– 3/11/23

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

द्वारा :– आतंरिक–वित्तीय–सलाहकार।

विषय :– ग्रीष्म ऋतु में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति की समस्या के निदान हेतु राज्य के 4351 ग्राम पंचायतों में 43510 चापाकलों के अधिष्ठापन हेतु अनुमानित प्राक्कलित राशि रूपये 46362.54626 लाख (चार अरब तिरसठ करोड़ बासठ लाख चौवन हजार छः सौ छब्बीस रूपये) मात्र पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेशः– स्वीकृत।

राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ग्रीष्म ऋतु में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जलस्तर औसत से नीचे चले जाने के कारण आमजनों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ता है जिसके निदान हेतु पूर्व से अधिष्ठापित चापाकलों/Drilled Tubewell एवं अन्य श्रोतों की मरम्मति आदि कराकर पेयजलापूर्ति की व्यवस्था की जाती है जो पर्याप्त नहीं हो पाता है। वित्तीय वर्ष 2021–22 तक प्रति पंचायत 05 अदद् चापाकलों के अधिष्ठापन का कार्य किया गया है। वर्त्तमान में सरकार, राज्य की जनता को जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु दृढ़संकल्पित है।

वर्त्तमान में चापाकलों पर निर्भरता 66% एवं पाईप जलापूर्ति पर मात्र 34% है। उल्लेखनीय है कि JJM के तहत वर्ष– 2024 तक झारखण्ड राज्य के 61.19 लाख घरों को पाईप के द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाना है, लेकिन झारखण्ड राज्य के भौगोलिक संरचना एवं 02 वर्ष करोना काल के कारण इस राज्य में JJM के क्रियान्वयन में हुए विलम्ब के कारण अब तक 06.94% गाँव पाईप जलापूर्ति योजना से पूर्णरूपेण एवं 55.28% आंशिक रूप से आच्छादित तथा 37.78% ग्राम अनाच्छादित है। जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी रूप से निर्धारित अवधि के अनुसार योजनाओं को पूर्ण होकर चालू होने में विलम्ब की संभावना है। ऐसी स्थिति में तब तक वर्ष– 2023 एवं 2024 में प्रत्येक पंचायत में नये चापाकलों का निर्माण आवश्यक है।

क्षेत्र में आमजनों से लेकर माननीय विधायकों द्वारा भी बार–बार नये चापाकल के निर्माण हेतु अनुरोध किया जा रहा है। बजट सत्र के दौरान विधान सभा में भी माननीय विधायकों द्वारा चापाकलों के निर्माण हेतु सदन के माध्यम से भी अनुरोध किया गया है।

उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य के 263 प्रखण्डों के 4351 ग्राम पंचायतों में कुल 43510 अदद् चापाकलों के अधिष्ठापन का निर्णय मंत्रिपरिषद् के द्वारा लिया गया है, जिसमें से माननीय विधायकों की अनुशंसा के आधार पर प्रति पंचायत 05 चापानल कुल 21755 अदद् चापाकलों का अधिष्ठापन कराया जायेगा तथा शेष 21755 अदद् चापाकलों का अधिष्ठापन आंशिक रूप से आच्छादित पंचायत/प्रखण्ड में विभागीय क्षेत्रीय पदाधिकारियों की अनुशंसा पर स्थल आधारित आवश्यकतानुसार विभाग के विवेकाधीन किया जायेगा।

अधिष्ठापित होने वाले चापाकल/Drilled Tubewell के निम्न चार प्रकार है। योजना की स्वीकृति Model Estimate पर की जा रही है, जिसपर तकनीकी अनुमोदन/स्वीकृति PWD Code के प्रावधान के अनुरूप सक्षम स्तर से प्रदान किया गया है :–

- Drilled Tube well- 70m deep (प्राक्कलित राशि– 90,502/– रू०)
- Gravel Packed Tube well- 60m deep (प्राक्कलित राशि– 1,49,470/– रू०)
- Deep Tube well- 90m deep (प्राक्कलित राशि– 1,02,690/– रू०)
- Extra Deep Tube well- 120m deep (प्राक्कलित राशि– 1,31,880/– रू०)

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में राज्य के सभी पंचायतों में चापाकलों/Drilled Tubewell के अधिष्ठापन हेतु राशि की आवश्यकता निम्न प्रकार होगी :–

क्र० सं०	प्रमण्डल का नाम	प्रमण्डल अन्तर्गत कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	कुल DT/GPT/Deep TW/Extra Deep TW नलकूपों की विवरणी									
			DT (70m deep)	GPT (60m deep)	Deep TW 125/115mm Dia (90m deep)	Extra Deep TW 125/115 mm Dia (120 m deep)	Total	Sanction Amt. for DT (70m deep) (Rs in Lakh)	Sanction Amt. for GPT (60m deep) (Rs in Lakh)	Sanction Amt. for Deep TW (90m deep) (Rs in Lakh)	Sanction Amt. for Extra Deep TW 125/115mm Dia (120 m deep) (Rs in Lakh)	Total (Rs in Lakh)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9 (4 x Rs. 90,502/-)*	*10 (5 x Rs. 1,49,470/-)*	*11 (6 x Rs. 1,02,690/-)*	*12 (7 x Rs. 1.31,880/-)*	*13 (9+10+11+12)*
TSP												
1	राँची पूर्व	116	276	198	454	232	1160	249.78552	295.9506	466.21260	305.9616	1317.91032
2	राँची पश्चिम	189	121	760	639	370	1890	109.50742	1135.972	656.18910	487.956	2389.62452
3	खूँटी	86	70	170	454	166	860	63.3514	254.099	466.21260	218.9208	1002.58380
4	जमशेदपुर	170	376	624	480	220	1700	340.28752	932.6928	492.91200	290.136	2056.02832
5	आदित्यपुर	61	400	0	210	0	610	362.008	0	215.64900	0	577.65700
6	चाईवासा	131	405	220	380	305	1310	366.5331	328.834	390.22200	402.234	1487.82310
7	चकधरपुर	86	205	0	475	180	860	185.5291	0	487.77750	237.384	910.69060
8	सरायकेला	131	854	0	243	213	1310	772.88708	0	249.53670	280.9044	1303.32818
9	गुमला	159	635	150	480	325	1590	574.6877	224.205	492.91200	428.61	1720.41470
10	सिमडेगा	94	272	40	408	220	940	246.16544	59.788	418.97520	290.136	1015.06464
11	लोहरदगा	66	222	214	100	124	660	200.91444	319.8658	102.69000	163.5312	787.00144
12	लातेहार	115	700	45	270	135	1150	633.514	67.2615	277.26300	178.038	1156.07650
13	जामताड़ा	118	1045	0	135	0	1180	945.7459	0	138.63150	0	1084.37740
14	दुमका–01	58	140	0	230	210	580	126.7028	0	236.18700	276.948	639.83780
15	दुमका–02	148	421	0	827	232	1480	381.01342	0	849.24630	305.9616	1536.22132
16	पाकुड़	128	350	0	580	350	1280	316.757	0	595.60200	461.58	1373.93900
17	साहेबगंज	163	170	630	580	250	1630	153.8534	941.661	595.60200	329.7	2020.81640
	कुल	**2019**	**6662**	**3051**	**6945**	**3532**	**20190**	**6029.24324**	**4560.3297**	**7131.82050**	**4658.00160**	**22379.39504**
OSP												
18	मेदिनीनगर	265	1018	231	985	416	2650	921.31036	345.2757	1011.49650	548.6208	2826.70336
19	गढ़वा	189	542	160	468	720	1890	490.52084	239.152	480.58920	949.536	2159.79804
20	रामगढ	125	946	15	164	125	1250	856.14892	22.4205	168.41160	164.85	1211.83102
21	गोड्डा	197	359	833	588	190	1970	324.90218	1245.0851	603.81720	250.572	2424.37648
22	गिरिडीह–01	135	270	0	108 0	0	1350	244.3554	0	1109.05200	0	1353.40740
23	गिरिडीह–02	211	1281	66	701	62	2110	1159.33062	98.6502	719.85690	81.7656	2059.60332
24	धनवाद–01	106	810	0	250	0	1060	733.0662	0	256.72500	0	989.79120
25	धनवाद–02	150	1187	0	190	123	1500	1074.25874	0	195.11100	162.2124	1431.58214
26	देवघर	94	575	0	365	0	940	520.3865	0	374.81850	0	895.20500
27	मधुपुर	100	877	0	123	0	1000	793.70254	0	126.30870	0	920.01124
	कुल	**1572**	**7865**	**1305**	**4914**	**1636**	**15720**	**7117.9823**	**1950.5835**	**5046.1866**	**2157.55680**	**16272.30920**
SCSP												
28	हजारीबाग	252	1435	0	895	190	2520	1298.7037	0	919.07550	250.572	2468.35120
29	चतरा	154	663	135	578	164	1540	600.02826	201.7845	593.54820	216.2832	1611.64416
30	झुमरीतिलैया	105	580	152	263	55	1050	524.9116	227.1944	270.07470	72.534	1094.71470
31	चास	142	803	0	375	242	1420	726.73106	0	385.08750	319.1496	1430.96816
32	तेनुघाट	107	590	80	260	140	1070	533.9618	119.576	266.99400	184.632	1105.16380
	कुल	**760**	**4071**	**367**	**2371**	**791**	**7600**	**3684.33642**	**548.5549**	**2434.77990**	**1043.17080**	**7710.84202**
	कुल योग	**4351**	**18598**	**4723**	**14230**	**5959**	**43510**	**16831.56196**	**7059.46810**	**14612.78700**	**7858.72920**	**46362.54626**

2. उक्त के आलोक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सभी प्रमण्डलों में कुल 43510 चापाकल/DT के निर्माण हेतु कुल प्राक्कलित राशि <u>**रूपये 46362.54626 लाख (चार अरब तिरसठ करोड़ बासठ लाख चौवन हजार छः सौ छब्बीस रूपये)**</u> मात्र का व्यय अनुमानित है। राशि का प्रावधान राज्य योजना के ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यबवेल्स एवं नलकूप द्वारा) के TSP/OSP/SCSP बजट शीर्ष के 'निर्माण कार्य' मद से निम्न प्रकार किया जाना है :—

(i) राज्य के TSP क्षेत्र के 2019 अदद् पंचायतों में कुल 20190 अदद् नलकूपों के निर्माण हेतु राशि रूपये 22379.39504 लाख व्यय अनुमानित है, जिसका व्यय मुख्य शीर्ष—4215— जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय; उप मुख्य शीर्ष—01—जल पूर्ति; लघु शीर्ष—796—जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना; उप शीर्ष—03—ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यबवेल्स एवं नलकूप द्वारा); उप योजना शीर्ष—01—ग्रामीण (ड्रिल्ड ट्यूबवेल/कुँआ); विस्तृत शीर्ष—05—निर्माण; 45—निर्माण कार्य (विपत्र कोड— <u>**36S42150179603010545**</u>) शीर्ष के अन्तर्गत वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2023—24 के बजट में उपबन्धित राशि से होगा।

(ii) राज्य के OSP क्षेत्र के 1572 अदद् पंचायतों में कुल 15720 अदद् नलकूपों के निर्माण हेतु राशि रूपये 16272.30920 लाख व्यय अनुमानित है, जिसका व्यय मुख्य शीर्ष—4215— जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय; उप मुख्य शीर्ष—01—जल पूर्ति; लघु शीर्ष—102—ग्रामीण जलपूर्ति; उप शीर्ष—03—ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यबवेल्स एवं नलकूप द्वारा); उप योजना शीर्ष—01—ग्रामीण (ड्रिल्ड ट्यूबवेल/कुँआ); विस्तृत शीर्ष—05 —निर्माण; 45—निर्माण कार्य (विपत्र कोड— <u>**36s42150110203010545**</u>) शीर्ष के अन्तर्गत वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2023—24 के बजट में उपबन्धित राशि से होगा।

(iii) राज्य के SCSP क्षेत्र के 760 अदद् पंचायतों में कुल 7600 अदद् नलकूपों के निर्माण हेतु राशि रूपये 7710.84202 लाख व्यय अनुमानित है, जिसका व्यय मुख्य शीर्ष—4215— जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय; उप मुख्य शीर्ष—01—जल पूर्ति; लघु शीर्ष—789—अनुसूचित जातीयों के लिए विशेष घटक योजना; उप शीर्ष—03—ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यबवेल्स एवं नलकूप द्वारा); उप योजना शीर्ष—01—ग्रामीण (ड्रिल्ड ट्यूबवेल/कुँआ); विस्तृत शीर्ष—05— निर्माण; 45—निर्माण कार्य (विपत्र कोड— <u>**36S42150178903010545**</u>) शीर्ष के अन्तर्गत वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2023—24 के बजट में उपबन्धित राशि से होगा।

इन योजनाओं पर होने वाले व्यय की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता होंगे एवं राशि की निकासी स्थापित वित्तीय नियमों के अनुरूप प्रमण्डल से सम्बद्ध कोषागार से किया जायेगा।

3. (i) माननीय विधायकों की अनुशंसा के आधार पर प्रति पंचायत 05 चापानल कुल 21755 अदद् चापाकलों का अधिष्ठापन कराया जायेगा।

(ii) शेष 21755 अदद् चापाकलों का अधिष्ठापन आंशिक रूप से आच्छादित पंचायत/प्रखण्ड में विभागीय क्षेत्रीय पदाधिकारियों की अनुशंसा पर स्थल आधारित आवश्यकता अनुसार विभाग के विवेकाधीन किया जायेगा।

(iii) स्थल Formation के आधार पर ही कार्यपालक अभियन्ता स्रोत का प्रकार एवं गहराई का निर्धारण करेंगे और तद्नुसार सूची प्रस्तुत करेंगे।

4. (i) ऐसी SVS जलापूर्ति योजनाएँ जो DT/GPT आधारित है और उनके स्रोत का Discharge कम हो गया हो, अथवा dry/collapse हो गया हो, उन जगहों को प्राथमिकता दी जायगी। परन्तु dry zone में DT/GPT कदापि नहीं किया जाएगा।

(ii) ऐसी लघु जलापूर्ति योजनाएँ जिनके end point में पानी नहीं पहुँचता हो, वैसे end point के आस–पास D/T निर्माण की प्राथमिकता दी जाए ताकि भविष्य में इसका उपयोग water pressure में सुधार करने में भी किया जा सके।

(iii) वैसे क्षेत्र जहाँ MVS योजनाएँ निर्माणाधीन हैं एवं कार्य पूर्ण होने में दो वर्ष से अधिक वक्त लगने का अनुमान हो वैसे क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएगी।

(iv) स्थल का निर्धारण कार्यपालक अभियन्ता इस प्रकार करेंगे कि क्षेत्र में पानी का संकट विशेषकर गर्मी में नहीं हो।

(v) चापाकल का अधिष्ठापन सार्वजनिक स्थल में कराया जायेगा ताकि किसी भी समय निर्मित चापाकल निजी Boundary wall के अंदर नहीं किया जायेगा।

(vi) अगर पूर्व से चापानल अधिष्ठापित है एवं कार्यरत् तो उससे कम–से–कम 500 मी० की दूरी पर ही नये चापानल का अधिष्ठापन किया जायेगा।

(vii) चापाकल के अधिष्ठापन से पूर्व अनुभव के आधार पर यह देख लिया जायेगा कि यह Dry Zone तो नहीं है।

(viii) जिन क्षेत्रों में पाईप जलापूर्ति योजना द्वारा FHTC के माध्यम से पूर्ण आच्छादन किया जा चुका है/पूर्व से चापाकल मानक से अधिक निर्मित हो एवं कार्यरत् हो तो चापाकलों/DT का निर्माण यथासंभव नहीं किया जायेगा बल्कि ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जायेगी जहाँ इसकी वास्तविक आवश्यकता है।

(ix) घनी आबादी वाले क्षेत्र को प्राथमिकता दी जायेगी।

(x) जिस क्षेत्र में Ground Water Level अच्छा होगा उसे प्राथमिकता दी जायेगी ताकि अधिकांश समय स्रोत कार्यरत् रहें।

(xi) स्थल का Geo- tagging अनिवार्य होगा।

(xii) वैसे क्षेत्र जो अबतक किसी योजना से आच्छादित नहीं है, और वह dry zone नहीं है तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी।

(xiii) Dry Zone में चापाकल निर्माण नहीं किया जाएगा। उन्हीं स्थल को लिया जाएगा जहाँ Ground Water Table अच्छा हो।

5. (i) योजनाओं के चयन/निर्माण एवं संचालन में VWSCs इत्यादि को जोड़ा जायेगा।

(ii) मानक Discharge प्राप्त होने पर ही अन्य अग्रतर कार्य किया जायेगा।

(iii) राशि का भुगतान वास्तविक कार्य (Actual Work) के आधार पर किया जायेगा।

(iv) योजना का सघन अनुश्रवण (Close Monitoring) किया जायेगा।

6. (i) उपायुक्त की अध्यक्षता में DWSC में DDC/DWO/संबंधित ITDP/संबंधित BDOs/मुखिया को योजना की जानकारी दी जायेगी ताकि Duplication न हों।

(ii) मीडिया के माध्यम से स्वीकृत तथा विभागीय योजनाओं की जानकारी उपायुक्त के मासिक प्रेस कान्फ्रेन्स के समय उपलब्ध कराये जायेंगे, ताकि जन साधारण को जानकारी हों।

(iii) जिला जन सम्पर्क कार्यालय को भी जानकारी दी जायेगी।

7. (i) संबंधित अधीक्षण अभियंता की यह जिम्मेवारी होगी कि कराये गए कार्यों का भौतिक सत्यापन कर संतुष्ट होने के उपरान्त कार्यपालक अभियंता से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र मुख्यालय को समर्पित करेंगे।

(ii) संबंधित कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल इस आशय का प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से देंगे कि किसी अन्य योजना की निधि से इस कार्य का न तो दोहरीकरण हुआ है, और न होगा।

(iii) योजना का लेखा संधारण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र का प्रस्तुतीकरण संबंधित कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल करेंगे तथा संबंधित अधीक्षण अभियंता स्वयं इसकी जाँच कर पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे।

8. (i) प्रस्तुत योजना का कार्यान्वयन PWD Code के प्रावधान के आलोक में स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार एवं वर्णित विशिष्टियों के अनुरूप किया जायेगा।

(ii) Third Party Inspection हेतु विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत पत्रों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) योजनाओं के समय बद्धता (Time of completion) हेतु निर्गत विभागीय आदेश संख्या–197, दिनांक– 05.09.2013 का अनुपालन दृढ़ता से सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) प्रखण्ड के JE, VWSC की बैठक करवाना सुनिश्चित करेंगे, ताकि योजना के पूर्ण होने के उपरान्त जनता को शत्–प्रतिशत लाभ मिल सके।

9. वैधानिक रूप से जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित होने तक योजना के विरूद्ध किसी प्रकार का Liability Create नहीं किया जाएगा।

10. योजना का ब्यौरा www.indiawater.gov.in पर Update करना सुनिश्चित किया जाएगा।

11. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

12. योजना के प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति (योजना एवं विकास विभाग) के पत्रांक– 206/2023, दिनांक– 05.09.2023 के द्वारा निम्न शर्तों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया है :–

"भौतिक लक्ष्य के अनुरूप निधि का प्रबंधन सुनिश्चित कर लिया जाय।"

13. योजना के प्रस्ताव पर दिनांक– 05.10.2023 को आहुत मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या– 31 के रूप में स्वीकृति प्रदान किया गया है।

14. इस पर आतंरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

15. **यह आवंटनादेश नहीं है, इसके लिए अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।**

(मनीष रंजन)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– 7/न०कू०– 02–03/2023– 501(अ) राँची, दिनांक :– 3/11/23

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/संबंधित माननीय सांसद और माननीय विधायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

2. संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, राँची/दुमका/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संयुक्त सचिव (प्र०को०)/संबंधित कार्यपालक अभियन्ता/अवर सचिव– 07/प्रशाखा पदाधिकारी– 07/राज्य समन्वयक (IT M&E) SPMU को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

(मनीष रंजन)
सरकार के सचिव।